कार्यालय नगर परिषद् भीलवाडा (राज.)

(राजेन्द्र मार्ग स्कुल के सामने) दूरभाष नं. 01482–232651
website :- nagarparishad.org **Email ID Npbhilwara@gmail.com**

क्रमांक : नपभी / एनजीटी / 2023–24 / 19311 दिनांक : 14 / 12 / 2023

श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
केन्द्रीय आंचलिक न्याय पीठ भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय आंचलिक न्याय पीठ भोपाल द्वारा मूल आवेदन संख्या 02 / 2022 शीर्षक बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णयानुसार पालना रिपोर्ट।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण केन्द्रीय आंचलिक न्याय पीठ भोपाल के मूल आवेदन संख्या 02 / 2022 शीर्षक बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 की पालना रिपोर्ट संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– पालना रिपोर्ट।

आयुक्त
नगर परिषद भीलवाड़ा

क्रमांक : नपभी / एनजीटी / 2023–24 / 19312–16 दिनांक : 14 / 12 / 2023

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत शासन विभाग राजस्थान।
2. श्रीमान् निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव महोदय, स्वायत शासन विभाग राजस्थान।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,भीलवाड़ा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, भीलवाडा।
5. निजी सहायक सभापति / आयुक्त महोदय, कार्यालय हाजा।

आयुक्त
नगर परिषद भीलवाड़ा

कार्यालय नगर परिषद्,भीलवाड़ा(राज.)

दिनांक :— 14.12.2023

-:: पालना रिपोर्ट ::-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय आंचलिक न्याय पीठ भोपाल द्वारा मूल आवेदन संख्या 02/2022 शीर्षक बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 की पालना रिपोर्ट।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय आंचलिक न्याय पीठ भोपाल द्वारा मूल आवेदन संख्या 02/2022 शीर्षक बाबू लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य के अन्तर्गत तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु पारित निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान राज्य प्रदुषण नियत्रंण मंडल द्वारा वाटर एक्ट 1974 की विभिन्न धाराओ के तहत नगर परिषद भीलवाडा के विरूद्व अलग—अलग समय पर निम्न शास्तिया आरोपित की गई है :—

i. आदेश क्रमांक 179—84 दिनांक 05.04.2019 द्वारा राशि रूपये 63.80 लाख।
ii. आदेश क्रमांक 1983—1991 दिनांक 21.11.2021 द्वारा राशि रूपये 02.40 करोड़।
iii. आदेश क्रमांक 841 दिनांक 12.12.2022 द्वारा राशि रूपये 111.45 लाख।
iv. ठोस कचरा प्रबंधन के तहत रूपये 12,000 प्रति माह (रूपये 300 प्रति टन Unprocessed Solid Waste)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा तरल अपशिष्ठ प्रबंधन एवं ठोस कचरा प्रबंधन हेतु पारित निर्देशो की अनुपालना में नगर परिषद भीलवाड़ा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दो पर व्यापक व प्रभावी कार्यवाही हुई है, उक्त प्रभावी कार्यवाही के सुपरिणाम कोठारी नदी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते है, विभिन्न निर्देशो की पालना में परिषद द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट निम्नानुसार है।

01. तरल अपशिष्ट प्रबन्धन — नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा कोठारी नदी में गिरने वाले गंदे पानी के 02 प्रमुख नालो पर गंदे पानी के उपचार हेतु जिंदल शॉ लिमिटेड से दिनांक 05.10.2011 को अनुबंध किया गया था। जिसके तहत दोनो प्रमुख नालो पर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है एवं 10 MLD क्षमता के STP की स्थापना कर उक्त नालो के गंदे पानी को उपचारित किया जा रहा है, जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा पिछले 10 वर्षो से नालो में जा रहे गंदे पानी को उपचारित किया जाकर उपचारित पानी को स्वयं की माईनिंग में काम लिया जा रहा है। इस प्रकार विगत 10 वर्षो से गंदे पानी को नदी में जाने से रोका गया है।

भीलवाड़ा शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट हेतु तैयार की गई Detailed Project Report के अनुसार शहर को 4 जोन A,B,C,D में बाँटा जाकर जोन A पार्ट व जोन B के पार्ट की परियोजना स्वीकृत की गई है, **इस कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी नगर परिषद् भीलवाड़ा को न बनाया जाकर RUIDP (Rajasthan Urban Infrastructure Development Project) को बनाया गया है RUIDP** नगर परिषद् भीलवाड़ा से स्वतंत्र इकाई है। **RUIDP** द्वारा मैसर्स राज कमल बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. अहमदाबाद को पत्र क्रमांक **PIU/ RUIDP/PH-III/BHILWARA/8885**

दिनांक 11.09.2017 द्वारा **NTP(Notice to Proceed)** जारी किया गया जिसके अनुसार उक्त कार्य दिनांक 22.08.2020 तक पूर्ण किया जाना था।

RUIDP से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक उनके द्वारा 100 % सीवर लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। RUIDP द्वारा बनाये गये 48 MLD क्षमता के सीवरेज पम्पिंग स्टेशन व 30 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (STP) का कार्य पूर्ण किया जाकर दिनांक 01.01.2023 से संचालन प्रारंभ कर दिया गया है एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (RSPCB) द्वारा सभी वांछित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई है।

RUIDP द्वारा दिनांक 07.12.2023 तक 31553 घरों को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, RUIDP के STP द्वारा लगभग 15–17 MLD सिवरेज प्रतिदिन उपचारित किया जा रहा है, यहा पर यह बताया जाना भी प्रासंगिक है कि भीलवाड़ा शहर से गुजर रही कोठारी नदी के पास की प्रमुख बडी कॉलोनियॉ यथा रमेश चन्द्र व्यास नगर, सुभाष नगर, रमा विहार, चित्रकूट नगर, विजय सिंह पथिक नगर, जैन ज्योति कॉलोनी, शिव नगर, मोती बावजी क्षेत्र, देवरिया बालाजी क्षेत्र में लगभग शत प्रतिशत घरो में घरेलु कनेक्शन किया जा कर सिवरेज नेटवर्क से जोड दिया गया है।

नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा भीलवाड़ा शहर के जोन बी के शेष पार्ट हेतु रूपये 229 करोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाकर सक्षम स्वीकृति उपरान्त RUDSICO जयपुर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई एवं नगर परिषद भीलवाडा स्तर से NTP (Notice to Proceed) जारी कर दिया गया है, NTP जारी होने की दिनांक से 02 वर्ष के भीतर इस कार्य के अन्तर्गत 126 किलोमीटर लंबी सिवरेज लाईन डाली जाकर 23,000 घरों को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ा जायेगा तथा 10 MLD क्षमता का एक अतिरिक्त STP भी बनाया जायेगा। उक्त योजना केन्द्र प्रवर्तित AMRUT 2.0 योजना में स्वीकृत है, संवेदक द्वारा मौके पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

RUIDP के वर्तमान में प्रगतिरत प्रोजेक्ट एवं अमृत 2.0 में स्वीकृत प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के पश्चात भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र के जोन ए एवं जोन बी से कोठारी नदी में गिरने वाले गंदे जल/मल की समस्या से निजात मिल जायेगा।

कोठारी नदी में जोन डी में नगर परिषद क्षेत्र के सांगानेर,कुवाड़ा,सालरा जैसे राजस्व ग्राम सम्मिलित है। इनमें से सांगानेर से लगभग 0.5 एमएलडी सीवरेज प्रतिदिन कोठारी नदी में गिर रहा है। उक्त क्षेत्र में सीवरेज के ट्रीटमेंट हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, नगर परिषद भीलवाडा की स्वयं की आय के स्त्रोत सीमित होने से परिषद स्तर पर उक्त कार्य करवाया जाना वर्तमान में संभव नही है, उक्त कार्य अनुदान राशि प्राप्त होने पर ही करवाया जा सकेगा।

RUIDP द्वारा निर्मित STP प्लांट से उपचारित पानी के उपयोग हेतु भीलवाड़ा की औद्योगिक ईकाईयों की अग्रिम संस्था मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से संपर्क किया गया हैं, दिनांक 02.08.2023 को शहर की प्रमुख औद्योगिक ईकाईयों की एक बैठक आयोजित कर उपचारित पानी के उपयोग की कार्य योजना हेतु एक कमेटी का गठन भी किया गया है। उक्त कमेटी द्वारा MoU हेतु नियमो/शर्तो का निर्धारण कर ड्राफट तैयार कर दिया गया है। शीघ्र ही सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त MoU सम्पादित कर लिया जायेगा।

02. ठोस कचरा प्रबन्धन – नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा ठोस कचरे के निस्तारण हेतु कीरखेड़ा, सांगानेर स्थित डम्पिंग यार्ड में 145 टन प्रतिदिन क्षमता का MSW प्रोसेसिंग प्लान्ट का निर्माण कराया गया है, उक्त MSW प्रोसेसिंग प्लांट वर्ष 2019 से लगातार कार्यरत है, वर्तमान में

लगभग 140 टन प्रतिदिन MSW की प्रोसेसिंग द्वारा कम्पोस्ट एवं RDF का निर्माण किया जा रहा है। नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा MSW कलेक्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु संवेदक मैसर्स नेचर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्रा.लि. को घर–घर कचरा संग्रहण व परिवहन हेतु 16 करोड़ लागत का कार्यादेश दिनांक 18.08.2022 को जारी किया गया है। वर्तमान में संवेदक द्वारा संसाधन बढ़ाकर 100 ऑटोटीपर, 8 लोडर, 2 जेसीबी, 10 डम्पर व 4 ट्रैक्टर ट्रोली की सहायता से लगभग 170–180 टन कचरा प्रतिदिन कीरखेड़ा, सांगानेर स्थित डम्पिंग यार्ड में पहुँचाया जा रहा है, जिसमें से उपरोक्तानुसार 140 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, एवं शेष कचरे को परिषद के डम्पिग यार्ड में डाला जा रहा है। डम्पिंग यार्ड के अतिरिक्त शहर मे किसी भी स्थान पर कोई कचरा नहीं डाला जा रहा है, साथ ही संवेदक फर्म मैसर्स Rollz India Waste Management Pvt. Ltd. को MSW प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढाये जाने हेतु आदेशित कर दिया गया है।

साथ ही नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन को सुदृढ करने हेतु मैसर्स VNBC Environment & Infrastructure Jaipur को नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन पर एक Detailed Project Report तैयार करने के लिये कार्यादेश जारी कर दिया गया है, फर्म द्वारा नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन पर Detailed Project Report की फाईनल रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी गई हैं।

03. कोठारी नदी क्षेत्र सफाई एवं जन जागरूकता – नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा कोठारी नदी के किनारे पर किसी प्रकार का कचरा/मलबा नहीं डाला जाता है तथा न ही नगर परिषद के संवेदक द्वारा मृत मवेशी डाले जाते है एवं आमजन द्वारा नदी के किनारे मलबा/कचरा डालने से रोकने हेतु सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षक/जमादार की टीम कोठारी नदी क्षेत्र की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा कचरा/मलबा डालने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है तथा यदा कदा जो कचरा मलबा अज्ञात लोगो द्वारा डाल दिया जाता है उसे भी परिषद अपने संसाधन लगाकर समय–समय पर उठवा रही है।

इसके साथ ही नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा कोठारी नदी क्षेत्र में लोगो को जागरूक करने के लिए विभिन्न 5 स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाये गये है तथा समय–समय पर नुक्कड–नाटक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

कोठारी नदी क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु एक अभियान चलाया जाकर नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास द्वारा अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया गया है एवं भविष्य में अतिक्रमी अतिक्रमण नही करें एवं नदी को प्रदुषित नही करें, इस बाबत तारबंदी का कार्य भी करवाया गया है, वर्तमान में नदी के परिषद स्वामित्व क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण नहीं है।

04. **C&D Waste :-** परिषद क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले C&D Waste के निस्तारण हेतु आराजी संख्या 2031 कीर खेड़ा सांगानेर में 01 हैक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि को चिन्हित कर उक्त कार्य हेतु आरक्षित कर दी गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा के तहत 50 टन प्रतिदिन क्षमता का C&D Waste Processing Plant नगर परिषद भीलवाड़ा में निर्माण कराया जाना है। जिसकी निदेशालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर दी गई है।

05. **अधिरोपित शास्ति** :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय आंचलिक न्याय पीठ भोपाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 के द्वारा नगर परिषद भीलवाड़ा पर तरल अपशिष्ठ प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के संबंध में शास्ति अधिरोपित की गई है।

उक्त निर्णय पर श्री शोएब हसन खान एडवोकेट Standing Counsel राजस्थान सरकार NGT (CZ) भोपाल की विधिक राय एवं विभागीय निर्देशो की पालना में उक्त निर्णय की अपील (SLP) माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके डायरी क्रमांक 47859/2023 दिनांक 18.11.2023 है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय आंचलिक न्याय पीठ भोपाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 की पालना में जमा कराई जाने वाली शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील में समुचित आदेश होने तक स्थगित रखा जाने का श्रम करावें।

अतः श्रीमान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 मे दिये गये निर्देशो के क्रम में प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

आयुक्त
नगर परिषद् भीलवाड़ा

Diary No.	Year	
47859	2023	Submit

Diary No.- 47859 - 2023

THE STATE OF RAJASTHAN vs. BABULAL JAJOO

Case Details

Diary No.	**47859/2023** Filed on 18-11-2023 10:03 AM **PENDING**
Case No.	C.A. No.
Present/Last Listed On	
Status/Stage	PENDING ()
Category	1503-Appeal Against Orders Of Statutory Bodies : Tribunals
Act	
Petitioner(s)	1 THE STATE OF RAJASTHAN THROUGH DISTRICT COLLECTOR COLLECTORATE BHILWARA BHOPAL GANJ, BHILWARA, RAJASTHAN ,BHILWARA , RAJASTHAN 2 NAGAR PARISHAD BHILWARA Through its Commissioner RAJENDRA MARG, ROAD BHILWARA, RAJASTHAN-311001 ,BHILWARA , RAJASTHAN
Respondent(s)	1 BABULAL JAJOO S/D/W/Thru:- BALU RAM JAJOO R/O. A-125, 126, KUMUD VIHAR OPPOSITE HOTEL FLORA PARK BHILWARA, RAJASTHAN ,BHILWARA , RAJASTHAN 2 RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD Through Member Secretary 4, JHALANA INSTITUTIONAL AREA JHALANA DOONGRI, JAIPUR RAJASTHAN-302004 ,JAIPUR , RAJASTHAN 3 URBAN IMPROVEMENT TRUST Through Secretary AJMER ROAD, SUBHASH NAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN -311001 ,BHILWARA , RAJASTHAN 4 CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD Through the Regional Director E-5, PARYAVARAN PARISHAR, ARERA COLONY BHOPAL-462016 (M.P.) ,BHOPAL , MADHYA PRADESH
Pet. Advocate(s)	D. K. DEVESH
Resp. Advocate(s)	
U/Section	

Argument Transcripts

Indexing

Earlier Court Details

Tagged Matters

Listing Dates

Interlocutory Application / Documents

Court Fees

Notices

Defects

Judgement/Orders

Mention Memo

Restoration Details

DropNote

Appearance

Office Report

Similarities

Caveat

Correspondence
The Registrar,
Supreme Court of India,
Tilak Marg, New Delhi-110001
e-mail : supremecourt[at]nic[dot]in
Contact Details : 011-23116400, 23116401, 23116402, 23116403